

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचित जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही लिया जावे व
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पत्र यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सापेक्ष हो।



नाम : शून्यरीति
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2012/ ५४०५

दिनांक:...०१.११.१२-

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध शासकीय श्यामलाल पाण्डवीय महाविद्यालय, मुराद, ग्वालियर (0751-2368320) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संचालित एम.ए. इतिहास (उत्तरार्द्ध), बी.बी.ए. एवं बी.डी.ए. तृतीय वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा-पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसा एवं प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति नमोदूर्य/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गीत निम्नानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संचालक)
(0751-2442841)

(2) प्रो. आर.ए. शर्मा, आचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. के.एस. टाकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिजेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की विद्युतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसा अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संचोकक एवं सदस्यों से सम्बर्ध स्थापित कर विरीक्षण कराएं। समिति संचोक से विवेदन है कि वे उत्त विधारित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित विरीक्षण समिति / संचोक का होगा।

“समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देवी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। विरीक्षण सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः विरीक्षण सूचना और पुक़ विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करें और तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिवियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन्होंने प्रवेश देना अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यक्रम / कार्यालय सहायक प्राचारली लेकर जारेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत कराएंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मार्केय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संचोकित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि रागिति के संचोक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करावे। उत्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुद्धा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचित के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसंचित (सम्बद्धता)